2015 का विधेयक संख्यांक 230

[दि इंडियन ट्रस्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

1882 का 2

2. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

न्यास-धन का विनिधान ।

'20. जहां न्यास-संपत्ति धन है और न्यास के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोजन तुरन्त या नजदीकी तारीख को नहीं किया जा सकता है, वहां न्यासी, न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी निदेश के अधीन रहते हुए, उस धन को न्यास की लिखत द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विनिहित करेगा :

परंतु जहां कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है और न्यास-संपत्ति की आय को अपने जीवनपर्यन्त या किसी वृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का हकदार है, वहां ऊपर उल्लिखित किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में कोई विनिधान उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा (2) के खंड (ज) में है ।'। 1956 का 42

धारा 20क का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (1) में परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) में प्राइवेट न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि के उपबंध हैं । अधिनियम की धारा 20 में यह कथन है कि जहां न्यास-संपत्ति धन है और न्यास के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोजन तुरंत या किसी नजदीकी तारीख को नहीं किया जा सकता, वहां न्यासी न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी निदेश के अधीन रहते हुए उक्त धारा के खंड (क) से खंड (च) में प्रगणित प्रतिभूतियों में धन का विनिधान करने के लिए आबद्ध है । धारा 20 के खंड (क) में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के वचनपत्रों, डिबेंचरों, स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में और खंड (ख) में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा भारित या प्रतिभूत बंधपत्रों, डिबेंचरों और वार्षिकियों में न्यास धन का विनिधान करने के लिए उपबंध है । भारत के विधि आयोग ने अपनी 17वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 20 का संशोधन करने और ऐसी प्रतिभूतियों के उपबंधों को, जो अप्रचलित हो गई हैं, हटाने के लिए सिफारिश की है ।

2. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015 उक्त अधिनियम की धारा 20 और धारा 20क का संशोधन करने के लिए है । धारा 20 का प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को न्यास-धन का विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियों के वर्ग को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है तथा यह 'किसी प्रतिभूति' का सरकार द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अनुमोदन की अपेक्षा को समाप्त करता है और न्यासियों द्वारा न्यास धन के विनिधान पर जोखिम, प्रत्यागम और विनिमय के उनके निर्धारण और न्यास विलेख के सुसंगत उपबंधों पर आधारित विनिश्चय करने के लिए वृहत्तर स्वायत्तता और नमनीयता प्रदान करता है । यह चालू आर्थिक वातावरण और गुणवता आधारित विनियामक व्यवस्था से प्रकटीकरण आधारित विनियामक व्यवस्था पर वर्तमान परिवर्तन से संगत है ।

3. विधेयक केंद्रीय सरकार को न्यासियों द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों में न्यास-धन का विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियों के वर्ग को अधिसूचित करने हेतु समर्थ बनाने के लिए है और यह अधिनियम से पुरानी और अप्रचलित प्रतिभूतियों के निर्देश को हटाता है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
3 अगस्त, 2015

अरुण जेटली

उपाबंध

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

न्यास-धन का विनिधान ।

20. जहां कि न्यास-संपत्ति धन हो और न्यास के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोजन तुरन्त या नजदीकी तारीख पर न किया जा सके वहां न्यासी (न्यास की लिखत में अन्तर्विष्ट किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए) उस धन को निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर, न कि किन्हीं अन्यों पर, विनिहित करने के लिए आबद्ध होता है--

(क) किसी भी राज्य सरकार के या केन्द्रीय सरकार के या ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के वचनपत्रों, डिबेंचरों, स्टाक या अन्य प्रतिभूतियों में :

परन्तु वे प्रतिभूतियां, जिनका मूलधन या जिन पर का ब्याज दोनों ऐसी किसी सरकार द्वारा पूर्णतः और अशर्त रूप से प्रत्याभूत किए जा चुके हों, इस खंड के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार की प्रतिभूतियां समझी जाएंगी ;

(ख) उन वचनपत्रों, डिबेंचरों और वार्षिकियों में, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने भारत के, या सपरिषद् गवर्नर जनरल के, या किसी प्रान्त के राजस्व पर 1947 के अगस्त के पन्द्रहवें दिन के पूर्व भारित या प्रतिभूत कर दिया था :

परन्तु 1916 की फरवरी के पन्द्रहवें दिन के पश्चात् कोई भी धन ऐसी किसी वार्षिकी में, जो पर्यवसेय वार्षिकी है, तब के सिवाय विनिहित नहीं किया जाएगा जब कि ऐसी वार्षिकी से संसक्त कोई निक्षेप-निधि स्थापित कर दी गई हो ; किन्तु इस परन्तुक में की कोई भी बात पूर्वोक्त तारीख के पूर्व किए गए विनिधानों को लागू नहीं होगी ;

(खख) साढ़े तीन प्रतिशत वाले इंडिया-स्टाक, तीन प्रतिशत वाले इंडिया-स्टाक, ढ़ाई प्रतिशत वाले इंडिया-स्टाक में, या अन्य किसी भी पूंजी स्टाक में जो 1947 के अगस्त के पन्द्रहवें दिन के पूर्व यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी अधिनियम के प्राधिकार के अधीन सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल द्वारा पुरोधृत किया गया था और भारत के राजस्व पर भारित किया गया था, या जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के भाग 13 के उपबंधों के अधीन सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा सपरिषद् गवर्नर जनरल की ओर से पुरोधृत किया गया ; या

(ग) रेल या अन्य कंपनियों के स्टाक या डिबेंचरों में या उनमें के अंशों में, जिन पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई हो, या बाम्बे प्राविन्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के डिबेंचरों में, जिन पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल द्वारा या मुम्बई राज्य सरकार द्वारा दी गई हो ;

(घ) किसी प्रेसिडेंसी नगर में के या रंगून नगर में के किसी नगरपालिक निकाय, पत्तन न्यास या नगर सुधार न्यास द्वारा या की ओर से या करांची पत्तन के न्यासियों के द्वारा या की ओर से किसी केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्राधिकार के अधीन पुरोधृत किए गए डिबेंचरों या अन्य धनार्थ प्रतिभूतियों में :

परन्तु रंगून नगर में के नगरपालिक निकाय, पत्तन न्यास या नगर सुधार न्यास द्वारा या की ओर से या करांची पत्तन के न्यासियों द्वारा या की ओर से पुरोधृत की गई प्रतिभूतियों में, 1948 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् कोई धन विनिहित नहीं किया जाएगा ;

(ङ) जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, उनके किसी भी भाग में स्थित स्थावर संपत्ति के प्रथम बंधक पर, परन्तु यह तब जब कि वह संपत्ति वर्षों की किसी अवधि के लिए पट्टाधृति न हो और संपत्ति का मूल्य बंधक धन से उसके तृतीयांश से, या यदि संपत्ति भवनों के रूप में हो तो अर्धांश से, अधिक हों ;

1963 का 52

(ङङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21 के अधीन बनाई गई किसी यूनिट स्कीम के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए यूनिटों में ; अथवा

(च) न्यास की लिखत द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या किसी ऐसे नियम द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय समय-समय पर इस निमित्त विहित करे, अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी भी अन्य प्रतिभूति पर :

परन्तु जहां कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविदा करने के लिए सक्षम है और न्यास-संपत्ति की आय को अपने जीवनपर्यन्त या किसी बृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का उस समय हकदार है वहां खंड (घ), (ङ) और (च) में वर्णित या निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति पर कोई भी विनिधान उसकी लिखित सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा ।

मोचनीय स्टाक को प्रीमियम पर खरीदने की शक्ति ।

20क. (1) न्यासी धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से किसी में भी विनिधान कर सकेगा, यद्यपि वह मोचनीय हो और कीमत मोचन-मूल्य से अधिक हो :

परन्तु न्यासी धारा 20 के खंड (ग) और (घ) में वर्णित या निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति को, जो क्रय की तारीख से पन्द्रह वर्षों के भीतर सममूल्य पर या अन्य किसी नियत दर पर मोचनीय हो, उसके मोचन-मूल्य से अधिक कीमत पर, या उक्त खंडों में वर्णित या निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति को, जो सममूल्य पर या किसी अन्य नियत दर पर मोचनीय हो, सममूल्य है या ऐसी अन्य नियत दर से पन्द्रह प्रतिशत से अधिक कीमत पर नहीं खरीद सकेगा ।

* * * * *

GMGIPMRND—2211LS(CRC)—11-8-2015.